

आदेश

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 5385 दिनांक 25.08.2025 के विरुद्ध अपीलार्थी श्री अनोज कुमार (Emp. ID No.- SKN14265), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम-8 (4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभय पक्ष उपस्थित।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है :-

बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि उक्त जिला में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मी अपने अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल विशेष सर्वेक्षण कर्मियों में अपीलार्थी का नाम भी प्रतिवेदित किया गया था।

अपीलार्थी बिना नियंत्री पदाधिकारी को सूचना दिए शिविर कार्यालय से अनुपस्थित हो गये एवं हड़ताल में सम्मिलित हो गये हैं। जिस तथाकथित संघ के आह्वान पर ये हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं, उस संघ की मान्यता किसी भी सक्षम प्राधिकार से नहीं है। साथ ही विशेष सर्वेक्षण कार्यों में भी इन्हें दिए गए लक्ष्य से इनके कार्यों की प्रगति काफी कम है। फलस्वरूप कार्य के प्रति लापरवाही, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, संविदा नियोजन हेतु निर्गत सुसंगत नियमों के विपरीत कार्य करना एवं स्वेच्छाचारिता तथा मनमानापन बरतने के आरोप में अपीलार्थी का संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि इनके द्वारा इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं किया गया है। मात्र संघ के बहकावे में आकर हड़ताल में शामिल हो गये थे, जिसके लिए क्षमा याचना की गयी। साथ ही अपीलार्थी द्वारा लिखित वचन (Undertaking) दिया गया है कि भविष्य में ये किसी भी हड़ताल/धरना प्रदर्शन एवं सरकार विरोधी इत्यादि कार्य में संलिप्त नहीं रहेंगे।

निदेशालय द्वारा अपने मंतव्य में अंकित किया गया है कि संविदा समाप्ति के पश्चात् भी अपीलार्थी द्वारा हड़ताल के दौरान विभिन्न मिडिया चैनलों, सोशल मिडिया एवं अन्य ऑनलाईन माध्यम से सरकार एवं विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी की गयी है एवं अन्य संविदा कर्मियों को हड़ताल में जाने के लिए उकसाने, धमकाने का कार्य किया गया है। साथ ही हड़ताल से वापस आए कर्मियों को भी डरा कर धमका कर पुनः हड़ताल में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया है।

उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख तथा संचिका में रक्षित साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के संविदा समाप्ति आदेश पर पुर्नविचार किया गया तथा अपीलार्थी श्री अनोज कुमार (Emp. ID No.- SKN14265), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिखित वचन (Undertaking) के आलोक में No Work No Pay के आधार पर बंदोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से इन्हें पुर्ननियोजित करने का आदेश दिया जाता है।

अतः निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण द्वारा निर्गत आदेश संख्या-5385 दिनांक 25.08.2025 को निरस्त किया जाता है।

(सी० के० अनिल)

प्रधान सचिव-सह-
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक :- 03/भू०अ०नि० (7) अपील-46/2025...7314

पटना, दिनांक 05/12/2025

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी० के० अनिल)

प्रधान सचिव-सह-
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

ज्ञापांक :- 03/भू०अ०नि० (7) अपील-46/2025...7314 पटना, दिनांक :- 05/12/2025

प्रतिलिपि :- श्री अनोज कुमार (Emp. ID No.- SKN14265), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू०अ०नि० (7) अपील-46/2025...7314 पटना, दिनांक :- 05/12/2025
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू०अ०नि० (7) अपील-46/2025...7314 पटना, दिनांक :- 05/12/2025
प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
भू-अभिलेख एवं परिमाण